## राजस्थान–सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः प. 9(50)राज -1/2014

जयपुर, दिनांक : 30-03-2015

## -: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या—15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव / अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला दौसा की तहसील महवा के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—6 में अंकित मजरों / ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या—8 के अनुसार होगा :—

क. सं.	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजरब ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		दूरी कि. मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल	Laybe Jim	जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	दौसा / महवा	रींदली	1701	194.69	ईसरीखेडा	800	94.98	2.0	99.71

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों / नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, दौसा को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से, (दिनेश चन्द जैन) संयुक्त शासन सचिव

कृ०प०उ०.....